

FP/UP/other/44262/2020

भाग -5

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो
अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18	राज्य सरकार की सिफारिशें (उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाय)	CF 23.12.19.23.....की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है ।
----	---	---

11/12/20

18
Anupam Gupta
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer
Forest Conservation Act. 1980
U.P. Lucknow